



उत्तराखण्ड शासन

**Urban Development Directorate,  
Uttarakhand**

31/62 RAJPUR ROAD, Dehradun, - 248001.

Telefax: 0135- 2742885

No- /291/HFA-TPQMA/SUDA/TC-1/2018 Dated :- June, 2018  
**REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)**

Urban Development Directorate (UDD), Government of Uttarakhand invites Request for Proposal for appointing agency for Third Party Inspection and Monitoring in Pradhan Mantri Awas Yojna: Housing for All (Urban) Scheme as per the guidelines of MoHUA, Govt. of India. Agency/ firm should have prior experience in inspection and monitoring of Housing Projects.

110 Projects at different location of Uttarakhand were sanctioned by GoI, For more information about scope of work, reports, roles, responsibilities, experience, Technical qualification and financial formats and other details for the above mentioned work, please visit: [www.udd.uk.gov.in](http://www.udd.uk.gov.in)

Last Date for Receipt/submission of RFP: 29 /06/2018 Till 2:30 PM

Director, Urban Development reserves rights regarding cancellation of proposal without any prior notice and according requirements of the project.

**(B. S. Manral)**  
Director



उत्तराखण्ड शासन

**शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड**

31 / 62 राजपुर रोड, देहरादून - 248001

टैलीफैक्स : 0135 - 2742885

संख्या - /291/एच०एफ०एम०टी०पी०व्य०एम०ए०/2018, दिनांक - जून 2018

अभिरुची की अभिव्यक्ति (आर०एच०पी०)

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, इच्छुक फर्म/ एजेंसी से भारत सरकार के आवासन एवम् शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आवासीय परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना: सबके लिए आवास (शहरी) हेतु तृतीय पक्ष के निरीक्षण और निगरानी हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति (आर०एच०पी०) आमंत्रित करता है। फर्म/एजेंसी को भारत सरकार की आवासीय परियोजनाओं में तृतीय पक्षीय निरीक्षण एवम् निगरानी का पूर्व अनुभव अवश्य होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना अर्तगत उत्तराखण्ड राज्य की अलग-अलग निकायों में 110 परियोजनाएं क्रियावित हैं। उक्त कार्य का कार्य क्षेत्र, रिपोर्ट, भूमिका, जिम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी अर्हता व वित्तीय प्रारूप तथा अधिक के लिए [www.udd.uk.gov.in](http://www.udd.uk.gov.in) वैबसाईट पर जाएँ।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि : 29 जून 2018 सांय 2:30 बजे तक। निदेशक शहरी विकास बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(भूपाल सिंह मनराल)  
निदेशक